# ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

## अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023

## भाग-एक

**1 प्रस्तावना**

**(क)** ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफ़ारिशों के फ़लस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम-1994 की धारा 118 में होने व संयुक्त निदेशक एवं उप-सचिव पंचायती राज विभाग के संशोधन पत्र संख्या पीसीएच-एचसी(5)-सी(15)एलएडी/2006-12669 दिनांक-07-04-2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व हिमाचल प्रदेश, राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों का अंकेक्षण कार्य इस विभाग के द्वारा निष्पादित किया गया।

**अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 तक के दौरान ग्राम पचांयत न्याग्रां में निम्नलिखित प्रधान एवं सचिव कार्यरत रहे हैं।**

**प्रधान**

| क्रम संख्या | पदाधिकारी का नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री अशोक कुमार | 01-04-2021 से 31.03.2023 |

**सचिव**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री प्रीतम चंद | 01.04.2021 से 12.08.2022 |
| 2. | श्री राजिंदर कुमार | 13.08.2022 से 31.03.2023 |

**ग्राम रोजगार सेवक**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री जोगिन्दर कुमार | 01-04-2021 से 31-03-2023 |

**तकनीकी सहायक**

| क्रम संख्या | नाम | अवधि |
|---|---|---|
| 1. | श्री रमेश चंद | 01-04-2021 से 31-03-2023 |

**(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार**

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

| क्र० सं० | पैरा संख्या | गंभीर अनियमितताओं का संक्षिप्त सार | राशि (₹ लाखों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | 4.3 | बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बही एवं बैंक खातों के अन्तशेष में अन्तर पाया जाना | 0.06 |
| 2. | 6 | अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना | 40.87 |
| 3. | 7.1 | पंचायत राजस्व, (गृहकर) की बकाया वसूली न करने बारे। | 0.66 |
| 4. | 7.2 | विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण वित्तीय हानि | 0.008 |
| 5. | 8.2 | रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि। | 0.67 |
| 6. | 8.3 | GST की अपेक्षित कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व की सम्भावित हानि। | 0.29 |
| 7. | 9.1 | मस्ट्रोलों के व्यय/भुगतान में पाई गई वित्तीय व अन्य अनियमितताओं बारे | 3.20 |
| 8. | 9.2 | औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय। | 0.84 |
| 9. | 9.3 | सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे | 1.14 |
| 10. | 9.4 | फर्नीचर क्रय हेतु राशि का अनियमित भुगतान करने बारे | 0.50 |
| 11. | 9.5 | वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे | 14.38 |
| 12. | 10.3 | प्रियासॉफ्ट व मैनुअल संधारित लेखों में भारी अन्तर | 0.90 |

**भाग- दो**

**2 वर्तमान अंकेक्षण**

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 के लेखों का वर्तमान एवं प्रथम अंकेक्षण श्री राकेश कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक

20-09-2023 से 01-01-2024 तक ग्राम पंचायत न्याग्रां के कार्यालय में किया गया। वर्तमान लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्न मासों का चयन किया गया जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है।

| क्रम संख्या | वित्तीय वर्ष | आय चयनित माह | व्यय चयनित माह |
|---|---|---|---|
| 1. | 2021-2022 | 01/2022 | 09/2021 |
| 2. | 2022-2023 | 10/2022 | 06/2022 |

**अस्वीकरण:-** वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रक अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

## 3 अंकेक्षण शुल्क

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा के अवधि 01-04-21 से 31-03-23 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु शुल्क ₹4800/- आँका गया है। अंकेक्षण शुल्क की उक्त राशि को राजकीय कोष में जमा करवाने हेतु इसे रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-09 को भेजने हेतु पंचायत सचिव से अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/ 390 दिनांक:-01.01.2024 द्वारा अनुरोध किया गया।

## 4 वित्तीय स्थिति

ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 04/2021 से 03/2023 के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

### 4.1 (क) स्व:-स्रोत व अनुदान

ग्राम पंचायत न्याग्रां के अवधि 04/2021 से 03/2023 तक स्व:-स्त्रोतों व अनुदान की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है। जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट-1** में भी दिया गया है:-

**(i) स्व:-स्रोत**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग (₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | **533309** | **80460** | **613769** | **35135** | **578634** |
| **2022-23** | **578634** | **1181807** | **1760441** | **270701** | **1489740** |

**(ii) अनुदान**

| वित्तीय वर्ष | अथ शेष (₹) | प्राप्ति (₹) | योग(₹) | व्यय (₹) | अंतिम शेष (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| **2021-22** | **6273579** | **3662897** | **9936476** | **5092424** | **4844052** |
| **2022-23** | **4844052** | **6302658.83** | **11146710.83** | **7059355.83** | **4087355** |

**कुल योग (i + ii ) = ₹**1489740+ **4087355= ₹5577095**

**(ख) ग्राम पचांयत न्याग्रां , विकास खण्ड भरमौर जिला चम्बा (हि०प्र०)**

**दिनांक 31/03/2023 को बैंक खातों में अन्तशेष का विवरण**

| क्रम संख्या | खाता संख्या | शाखा | अनुदान का नाम | राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18610105752 | HP state Co-op Bank Holi | LADA | **440430** |
| 2 | 18610107144 | HP state Co-op Bank Holi | 15TH FC | **2890857** |
| 3 | 18610101699 | HP state Co-op Bank Holi | SF/SFC/NBA/NRNM/VMJSY/NUCLOUS | **2239056** |
| | | | **cash in hand** | **250** |
| | | | | **5570593** |

अन्तर (क-ख) **₹5577095**- 5570593 = ₹ **6502**

**4.2 बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने के कारण रोकड़ बहियों व बैंक खातों के अन्तशेष में ₹0.06 लाख का अन्तर पाया जाना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 7(3) व 10(1) की अनुपालना में

मासिक आधार पर बैंक समाधान विवरणी तैयार नहीं की थी जिस कारण वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31-03-2023 को रोकड़ बही तथा बैंक खातों के अन्तशेष में राशि ₹6502.00 का अन्तर बैंक पास बुक में अधिक शेष के रूप में है, जिसका विस्तृत ब्यौरा पैरा संख्या 4 में दिया गया है।

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-377 दिनाँक 23.12.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा सूचित किया कि "भविष्य में बैंक समाधान विवरणी मासिक आधार पर तैयार की जाएगी एवं वर्तमान अंतर का मिलान करके लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार प्रत्येक माह बैंक समाधान विवरणी तैयार करके बैंक एवं रोकड़ बही का मिलान किया जाना सुनिश्चित किया जाये। इसके अतिरिक्त वर्तमान में अन्तर का अति शीघ्र मिलान भी किया जाये एवं वस्तु स्थिति से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**5 अकुशल वित्तीय प्रबंधन के कारण अतिरिक्त ब्याज की आय से वंचित होना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे सकंर्म, कराधान व भत्ते नियमावली 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीकृत बैंक सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेशित किया जाना अपेक्षित है जिससे इन पर अधिकतम ब्याज के रूप में आय को अर्जित किया जा सके।

अंकेक्षण के दौरान अभिलेखों के अवलोकन उपरान्त पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा उपरोक्त नियम की अनुपालना अंकेक्षण अवधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि न करते हुए पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों (स्व:-स्रोत) में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। उपरोक्त वित्तीय अनियमितता के कारण संसाधनों की कमी से जूझ रही पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है।

अत: भविष्य में नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**6 विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदान ₹40.87 लाख का अवरोधन।**

पंचायत द्वारा "**परिशिष्ट 2**" पर अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनाँक 31-03-2023 तक अनुदान से प्राप्त अनुदान राशियों में से ₹**4087355** की राशि

(रोकड़ बही के अनुसार) उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था। जबकि पंचायत द्वारा अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओ से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा है। यह अनियमितिता सम्बंधित पंचायत के कर्मचारियों व पंचायत प्रतिनिधियों के अकुशल वित्तीय प्रबन्धन को भी इंगित करती है।

इस राशि के उपयोग/व्यय न करने बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-SAD/CBA/RK/2023-24-381 दिनांक 23.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त स्पष्ट किया कि "भविष्य में प्राप्त अनुदान को समय पर खर्च किया जायेगा।"

अत: अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए अनुदान के व्यय हेतु सक्षम अधिकारी से अवधि बढ़ौतरी की स्वीकृति प्राप्त करके उक्त राशि को व्यय करना सुनिश्चित किया जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

**7.1 पंचायत राजस्व, गृहकर की बकाया राशि ₹0.67 लाख की वसूली न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म,कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 33 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत सचिव का दायित्व है कि, समस्त राजस्व को नियमित व अबिलम्ब रूप से वसूलने व सम्बन्धित ग्राम पंचायत के खातों में समय पर जमा करवाना सुनिश्चित करें तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 114 में प्रावधान है कि कोई व्यक्ति किसी कर, शुल्क, दर राशि का भुगतान नहीं करता तो वह जुर्माने के साथ दण्ड का भागीदार होगा। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिव को नियम 77(4) व फॉर्म 10 के अनुसार पंचायत के गृह कर का मांग व संग्रहण रजिस्टर तैयार करना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत सचिव द्वारा सम्पति कर (गृहकर) रजिस्टर को संधारित नहीं किया गया था। जिस कारण सम्पति कर की वार्षिक मांग व गत बकाया बारे पुष्टि नहीं हो सकी। इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा धारा 114 के अनुरूप गृहकर का समय पर भुगतान न करने के लिए चुककर्ताओं पर दण्ड लगाने हेतु भी कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। पंचायत द्वारा पंजीकृत परिवारों के आधार पर उपलब्ध करवाए गए अभिलेख के अनुसार निम्नलिखित **₹66925**/- की राशि वसूली हेतु शेष थी।

## 31-03-2023 को गृह कर बकाया राशि का विवरण

| क्र० स० | वितीय वर्ष | अथशेष (₹) | पंजीकृत परिवारों की संख्या | दर प्रति /परिवार | वर्ष के दौरान माँग (₹) | कुल योग (₹) | वर्ष के दौरान वसूली (₹) | वसूली हेतु शेष बकाया राशि (₹) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2021-22 | 52085 | 371 | 20 | 7420 | 59505 | 0 | 59505 |
| 2. | 2022-23 | 59505 | 371 | 20 | 7420 | 66925 | 0 | 66925 |

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 379 दिनांक 23-12-2023 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि पंचायत राजस्व की वसूली समय पर की जाएगी। उतर ग्राम पंचायत द्वारा अप्रभावी निगरानी का द्योतक है जिसके परिणाम स्वरूप राजस्व का गैर संग्रहण/हानि हो सकती है। अतः सम्पति/गृहकर की बकाया राशि की शीघ्रातिशीघ्र वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

### 7.2 विवाह पंजीकरण के बिलम्ब शुल्क की वसूली न करने के कारण राशि ₹825/-की वित्तीय हानि।

हिमाचल प्रदेश विवाह रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 22 एवं हि०प्र० सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण विभाग की अधिसूचना संख्या WLF-A(3)-1/97, दिंनाक 17-12-2004 व SJE-A-A(3)-1/2015 दिंनाक 04-10-2016 एवं पंचायती राज विभाग द्वारा जारी पत्र संख्या PCH-HA(1)8/2013-Marrige-8107-10 दिंनाक 28-10-2016 के अनुसार विवाह पंजीकरण का सामान्य श्रेणी हेतु पंजीकरण की धारा 8(1) के प्रावधानों के तहत ₹200 (30 दिन के अंदर) व BPL/IRDP से राशि ₹25 (30 दिन के अंदर) की वसूली की जानी अपेक्षित थी एवं वसूली गई फीस को सरकारी राजकोष के प्राप्ति शीर्षक खाता संख्या "0235-00-800-03" में विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जमा की जानी अपेक्षित है।

अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण में पाया गया कि, उक्त पंचायत सचिव द्वारा **परिशिष्ट -4** अनुसार विवाह पंजीकरण शुल्क की बिलम्ब शुल्क की वसूली नहीं की गई जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। पंचायत सचिव की लापरवाही के कारण पंचायत को राशि ₹825/- की वितीय हानि हुई। इसके अतिरिक्त विवाह पंजीकरण शुल्क के तौर पर वसूली गई राशि को

सरकारी राजकोष में जमा नहीं करवाया गया है अपितु इसे बैंक के निधि खाते में रखा गया है जोकि उक्त नियमानुसार अनुचित है।

इस सम्बन्ध में जारी अधियाचना संख्या-380 दिनांक 23-12-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "विवाह पंजीकरण शुल्क की वसूली कर ली जाएगी।" उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि निर्धारित शुल्क प्राप्त करने उपरान्त ही विवाह पंजीकरण किया जाना अपेक्षित है।

अत: उपरोक्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करने उपरान्त सम्बन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाये तथा भविष्य में इस प्रकार की गलती की पुनरावृत्ति न की जाये तथा अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

**8.1 निर्माण कार्यों से सम्बंधित स्वीकृति/कार्य आदेश, प्राक्कलन मापन पुस्तिका लेखा परीक्षा में प्रस्तुत न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 व संशोधित नियम 2017 के नियम 94, 95 व 101 के अनुसार किसी भी विकास कार्य का निष्पादन प्रशासनिक ,तकनीकी स्वीकृति, मापन पुस्तिका व प्राक्कलन तैयार किये बिना नहीं किया जा सकता है।

ग्राम पंचायत की नमूना लेखा परीक्षा के दौरान कनिष्ट अभियंता स्तर पर करवाए गए विकास/निर्माण कार्यों के प्रशासनिक, तकनीकी स्वीकृति, कार्य आदेश, प्राक्कलन,मापन पुस्तिका इत्यादि अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में उक्त कर्मचारियों के स्तर पर किये गए कार्यों व उसमे प्रयुक्त सामग्री/लेबर के व्यय,खपत,सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 384 दिनाँक 01-01-2024 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त सूचित किया कि उक्त अभिलेख अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिए जायेगे।

अतः उक्त अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए व् अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**8.2 ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं से रॉयल्टी न वसूलने के कारण सरकार को ₹0.67 लाख के राजस्व की सम्भावित वित्तीय हानि।**

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स (कन्सेशन) एवं मिनरल्स (प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग ट्रान्सपोटेशन एन्ड स्टोरेज) नियमावली 2015 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार विकास/निर्माण

कार्यों पर उपयोग की जाने वाली सामाग्री के लिए ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता को खनन विभाग से अन्नापति प्रमाण पत्र/M-फॉर्म प्राप्त कर सम्बंधित पंचायत को देना अनिवार्य है।

ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा की अंकेक्षण अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023के अभिलेखों के नमूना अंकेक्षण एवं पंचायत द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के आधार पर पाया गया कि पंचायत द्वारा उक्त नियमों एवं आदेशों की पूर्णत: अवहेलना की जा रही थी। पंचायत द्वारा ठेकेदारों से न तो कोई अन्नापति प्रमाण पत्र/ XY-फॉर्म /M-फॉर्म लिया गया था और न ही रॉयल्टी की अपेक्षित कटौती की गई थी फलस्वरूप सरकार को कुल ₹67988/- (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3 "** में दिया गया है।) की वित्तीय हानि हुई है।

इस गंभीर अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/383 दिंनाक 01.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया, जिसके प्रतिउत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि "उक्त क्रय सामग्री हेतु रॉयल्टी की कटौती सम्बन्धित संविदाकारों से करके उसे सरकारी कोष में जमा करवा कर कृत कार्यवाही से विभाग को अवगत करवा दिया जायेगा एवं भविष्य में M-फार्म/X-फार्म न होने की स्थिति में नियमानुसार रॉयल्टी की कटौती की जायेगी एवं उसे समय पर सरकारी कोष में भी जमा करवा दिया जायेगा।"

अत: पंचायत द्वारा रॉयल्टी न काटा जाना न केवल सरकारी आदेशों की अवहेलना है परन्तु सप्लाईर/ठेकेदार को अनुचित लाभ देकर सरकारी राजस्व की भी वित्तीय हानि है।

अत: भविष्य में अनापत्ति प्रमाण पत्र/XY-फॉर्म/M-फ़ार्म न होने की दशा में रॉयल्टी की कटौती नियमित रूप से करके सरकारी कोष में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये एवं वर्तमान में रायल्टी न काटे जाने को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की रॉयल्टी की वसूली उचित स्त्रोत से करके शीघ्रअतिशीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया जाये।

**8.3 प्रॉपर/टैक्स बिलों पर भुगतान न करने के कारण सरकारी राजकोष को वस्तु एवं सेवाकर (GST) के तौर पर राशि ₹0.29 लाख की सम्भावित वित्तीय हानि बारे।**

केंद्रीय वस्तु एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार रेत, बजरी एवं पत्थर इत्यादि पर 5% की दर से GST का भुगतान किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों के नमूना/चयनित अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान आपूर्तिकर्ता का GST धारक होने पर वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23

हेतु स्वीकृत की गई थी परन्तु अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा इन्हें राशि ₹621913/- का भुगतान (जिसका पूर्ण विवरण संलग्न **परिशिष्ट "3"** में दिया गया है ।) किसी प्रॉपर/कंप्यूटर जेनरेटड/टैक्स बिल पर न करके एक सादे कागज़ पर कर दिया गया है । जिससे इन बिलों की सत्यता एवं प्रमाणिकता की पुष्टि लेखा परीक्षा में नहीं की जा सकी । यह न केवल अनुचित प्रक्रिया है अपितु एक प्रॉपर टैक्स बिल के अभाव में सरकार को देय वस्तु व सेवा कर (GST) के तौर पर लगभग राशि ₹29614/- की सम्भावित वित्तीय हानि भी हुई है ।

इस गंभीर अनियमितता के सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 383 दिनाँक 01-01-2024 के प्रत्युतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि, GST कटौती बारे आपूर्तिकर्ताओं से स्पष्टीकरण लेकर यथाशीघ्र अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा । उत्तर स्पष्ट एवं तर्कसंगत नहीं है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पंचायत द्वारा गठित उप-क्रय समिति द्वारा कुटेशनों एवं क्रय के समय बिलों की उचित जांच पड़ताल नहीं की गई जिससे कि उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा रसीदों पर ही अनुचित तरीके से भुगतान प्राप्त किया गया जिससे कि सरकार को वस्तु एवं सेवा कर की वित्तीय हानि होने के साथ-साथ किया गया भुगतान भी संदिग्ध प्रतीत होता है जोकि एक अत्यंत गंभीर वित्तीय अनियमितता है । अत: उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में बिना टैक्स बिल के भुगतान करने का औचित्य तथ्यों सहित स्पष्ट किया जाये एवं उक्त आपूर्तिकर्ताओं द्वारा यदि कोई उक्त बिलों के समबन्ध में कर भुगतान किया गया हो तो उनका साक्ष्य अनुवर्तन रिपोर्ट के साथ अंकेक्षण विभाग को शीघ्र प्रेषित किया जाये अन्यथा नियमविरुद्ध किये गए भुगतानों पर देय कर की पूर्ण गणना उपरान्त राशि की उचित स्रोत से वसूली करके समबन्धित खाते/कोष में जमा करवाई जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को भी अवगत करवाया । यह गंभीर प्रकरण उच्चाधिकारियों के समक्ष इस आशय से लाया जाता है कि; ऐसे प्रकरणों की गहन जांच की जाये ताकि किसी भी प्रकार से सार्वजानिक धन के दुरूपयोग एवं कर अदेयता के मामलों की सम्भावना को पूर्णत: नकारा जा सके ।

**8.4 राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा सभी चल-अचल सम्पतियों को दर्ज न करने बारे।**

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट प्रारम्भ की गई थी । इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लिकेशन्स हैं जिनसे पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं, सामान के खरीद, भुगतान एवं पंचायत की सभी चल-अचल सम्पतियों का (उनके वास्तविक मूल्य पर) इन्द्राज करना अनिवार्य है ।

ग्राम पंचायत न्याग्रां के नमूना अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा राष्ट्रीय सम्पति निर्देशिका में पंचायत द्वारा अर्जित सभी चल-अचल सम्पतियों एवं किये गए कार्यों को इन्द्राज/दर्ज नहीं किया गया था। जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि तक कई कार्यों को पूर्ण किया गया था। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा कोई भी कार्य उक्त एप्लीकेशन में नहीं किया जा रहा था जोकि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पूर्णतया अवहेलना है। जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

**9.1 ₹3.59 लाख के मस्ट्रोलों के भुगतान में पाई गई विविध अनियमितताओं बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 49(1)(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा पारित भुगतान ग्राम पंचायत के प्रधान और संबद्ध सचिव द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है। इसके अत्तिरिक्त इस अधिनियम के नियम 93(क) एवं अधिनियम 1994 की धारा 23 के अधीन गठित संकर्म समिति एवं नियम 108 के अनुसार सतर्कता समिति पंचायत द्वारा निष्पादित निर्माण कार्यों का निरीक्षण करेगी।

ग्राम पंचायत न्याग्रां के लेखों की नमूना/चयनित माहों के अंकेक्षण में पाया गया कि पंचायत द्वारा अग्रतालिका के विवरणानुसार व्यय किया गया था जिसमें निम्नलिखित विभिन्न अनियमिततायें पाई गई :-

1. संकर्म समिति, सतकर्ता समिति के सदस्यों के मस्ट्रोल पर हस्ताक्षर नहीं करवाये गए थे। जबकि उक्त वर्णित नियमानुसार पंचायत स्तर के विभिन्न संकर्मों के निष्पादन हेतु उक्त दोनों समितियों का होना व हस्ताक्षर करना आवश्यक है। इसके बिना पंचायत स्तर के कार्यों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती।

2. बिना पे-ऑर्डर एवं प्रधान व सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर के बिना ही भुगतान कर दिया गया था। जोकि उपरोक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है। जबकि उक्त नियमानुसार कोई भी संदाय/भुगतान इसमें वर्णित प्रावधानों के बिना नहीं हो सकता था।

3. मस्ट्रोल में दर्ज कुल मजदूरों की उपस्थिति को प्रधान/सम्बन्धित वार्ड सदस्य द्वारा सत्यापित नहीं किया गया था। जोकि उनकी वास्तविक उपस्थिति की पुष्टि को सन्देहजनक बनाता है।

| **मस्टरोल संख्या** | **रोकड़ बही पृष्ट संख्या /दिनांक** | **राशि (₹)** | **विवरण** | **मद** | **कार्य का नाम** |
|---|---|---|---|---|---|
| 32233 | 12/07.06.22 | 45500 | Labour Payment | SF | C/o Rasta Nirman At Chuned to Thogi |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 32241 | 30/14.09.21 | 202304 | Labour Payment | 14TH FC | C/o mela maidan Ghaddo |
| 32238 | 30/14.09.21 | 72852 | Labour Payment | 14th fc | c/o Retaining wall Pritam house to Trilok House |
| **Total** | | **320656** | | | |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 385 दिनाँक 01.01.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण को वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा कि "उक्त वर्णित अनियमितताओं की पुनरावृत्ति भविष्य में नहीं की जायेगी तथा कृत कार्यवाही से अवगत करवा दिया जायेगा।"

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा विभाग को अवगत करवाया जाये।

## 9.2 औपचारिकताओं (Codal Formalities) को पूर्ण किए बिना ही ₹0.84 लाख के स्टॉक/स्टोर का अनियमित क्रय करने बारे।

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते व नियम 2002 के नियम 67(4),67(5), 69 एवं 70 स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं जारी करने की औपचारिकतायें यथा निविदायें,कुटेशन (Quatations) आमंत्रित करना, मांग, अनुबंध सूची ,आपूर्ति आदेश इत्यादि प्रावधित है।

पंचायत के नमूना अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा राशि ₹84980/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है। उक्त राशि की सामग्री व सेवाओं का क्रय औपचारिकतायें पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जिससे कि ग्राम पंचायत को न केवल बाजारी प्रतिस्पर्धा के लाभ से वंचित होना पड़ा बल्कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के नियमों की अवहेलना भी की गई जोकि एक गंभीर अनियमितिता है।

| Particular/ Detail Of Party | Name of Fund | Bill No./date | Description | Amount (₹) |
|---|---|---|---|---|
| Reenu Stationary Mart VPO Holi | SF | 02/03.05.21 | Stationary Purchase | 2100 |
| Manimahesh Printing Press Bill Bharmour | SF | 14/26.08.21 | Stationary Purchase | 4480 |
| Jagdish Chand Sons VPO Holi | SF | 08/02.11.22 | Piller Heater | 4200 |
| Jagdish Chand Sons VPO Holi | SF | 09/02.11.22 | Piller Heater | 4200 |
| Neeraj kumar muhlla Julakkri chamba | 14th FC | 01/21.06.21 | grill work | 70000 |
| | | | | 84980 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 382 दिनांक 01-01-2024 द्वारा उक्त प्रकरण वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रतियुत्तर में सचिव द्वारा तथ्यों एवं आंकड़ों की पुष्टि उपरान्त कहा गया कि "भविष्य में सभी औपचारिकताओं को पूर्ण करके ही क्रय किया जायेगा।" प्रस्तुत उत्तर तर्कसंगत नहीं है।

अतः इस अनियमितता की सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर इस व्यय को नियमित करवाया जाए अन्यथा आवश्यक विधिवत औपचारिकतायें पूर्ण किये बिना, की गई खरीद से हुई हानि की प्रतिपूर्ति को उचित स्रोत से वसूल कर सम्बधित निधि में जमा करवाना सुनिश्चित किया जाये तथा भविष्य में नियमानुसार ही स्टॉक/स्टोर का क्रय, भंडारण एवं निर्गम किया जाना सुनिश्चित किया जाए तदानुसार कृत कार्रवाई से लेखा परीक्षा विभाग को यथाशीघ्र अवगत करवाया जाये।

**9.3 राशि ₹1.14 लाख के सामान/स्टोर की स्टॉक प्रविष्टियाँ व् रजिस्टरों का संधारण नियमानुसार न करने बारे**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के चैप्टर-8 नियम 69 के अनुसार सारा स्टोर (सामान) जब प्राप्त किया जाता है ,परिदान के समय, उसका यथास्थिति,परिक्षण, गणना,माप या तोल किया जायेगा और तुरंत स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्ट किया जायेगा। किसी एकल दिवस की प्रविष्टियों के अंत में यथास्थिति ग्राम पंचायत सचिव द्वारा

स्टॉक (सामान) उचित स्थिति का प्रमाण पत्र दिया जायेगा। अधिशेष यदि कोई है; का विवरण और कोई कमी (यदि कोई है) लाल स्याही से उपदर्शित की जायेगी।

परन्तु पंचायत के नमूना/चयनित अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा राशि ₹114980.00 के स्टॉक/स्टोर का क्रय किया गया था किन्तु उक्त की स्टॉक प्रविष्टी नही की गई थी

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | NAME OF MATERIAL | AMOUNT PAID |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reenu Stationary Mart Vpo Holi | SF | 02/03.05.21 | Stationary Purchase | 2100 |
| 2 | Manimahesh Printing Press Bill Bharmour | SF | 14/26.08.21 | Stationary Purchase | 4480 |
| 3 | Jagdish Chand Sons Vpo Holi | SF | 08/02.11.22 | Piller Heater | 4200 |
| 4 | Jagdish Chand Sons Vpo Holi | SF | 09/02.11.22 | Piller Heater | 4200 |
| 5 | Bharat Furntures Vpo Mugla Chamba | 14TH FC | 02/15.07.21 | Furnture Purchase | 100000 |
| | | | | Total | 114980 |

इस अनियमितता बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/386 दिंनाक 1-01-2024 द्वारा, सचिव को अवगत करवाया गया। इस सम्बन्ध में सचिव के द्वारा कि भविष्य में उक्त अनियमितता को नही दोहराया जायेगा

अत: नियमों के विरुद्ध अपनाई गई इस कार्यप्रणाली बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य में नियमानुसार क्रय किये गए सामान के स्टॉक प्रविष्टि करना सुनिश्चित करें एवं उक्त स्टॉक की प्रविष्टि करके अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाये एवं कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

## 9.4 फर्नीचर क्रय हेतु राशि ₹0.50 लाख का अनियमित भुगतान करने बारे

हि० प्र० पचायती राज के नियम, 2002 के **परिशिष्ट - क** के अनुसार पंचायत हेतु फर्नीचर खरीदने के नियम प्रावधित हैं ।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष **2021-22** में पंचायत द्वारा सभा निधि से निम्न विवरण अनुसार फर्नीचर की खरीद की गई थी लेकित उक्त खरीद **Approve Rate Contractor** से नही की गई थी तथा 3 वर्ष के भीतर अधिकतम पचास हजार रु तक का ही

फर्नीचर क्रय करने का प्रावधान है तथा पंचायत द्वारा अधिकतम सीमा से उपर सक्षम अधिकारी की स्वीकृति नही ली गई थी जोकि पचायती राज के नियम 2002 के परिशिष्ट - क की अवहेलना है जोकि एक गंभीर वितीय अनियमितता है

| SR. | NAME OF VENDER/ | GRANTS/ | VOUCHER/ | DISCRIPTION OF | AMOUNT PAID (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| NO. | SUPPLIER | HEAD | DATE | MATERIAL | |
| I | Bharat Furntures VPO Mugla Chamba | 14TH FC | 02/15.07.21 | Furnture Purchase | 100000.00 |
| | | | | | (100000-50000) = 50000.00 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/378 दिनांक 23-12-2023 द्वारा सचिव ,ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रतिउतर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत नहीं है | क्यूकी उक्त फर्नीचर का क्रय निर्धारित सीमा से अधिक राशि में क्रय किया गया था तथा जिसके लिए सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक थी।

अत: उक्त व्यय को सक्षम अधिकारी की कर्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए अन्यथा उक्त सीमा से अधिक किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति सम्बंधित व्यक्ति से करके उचित स्त्रोत में जमा करके अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

**9.5 वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत न करने बारे :-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 6 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार लेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा बिल / वाउचर का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा था। लेखों की जांच करने पर पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित विवरण अनुसार सोलर लाइट हेतु भुगतान प्रफोर्मा बिल आधार पर किये गये थे तथा अंकेक्षण की समाप्ति तक भी वास्तविक बिल / वाउचर अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किये गये जोकि एक गम्भीर वितीय अनियमितत है।

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | DISCRIPTION OF MATERIAL | AMOUNT PAID (₹) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PROJECT OFFICER HIMURJA CHAMBA | 14TH FC | 12/07.06.22 | SOLAR LIGHT PURCHASE | 287680 |
| 2 | PROJECT OFFICER HIMURJA CHAMBA | 14TH FC | 13/07.06.22 | SOLAR LIGHT PURCHASE | 287680 |
| 3 | PROJECT OFFICER HIMURJA CHAMBA | 14TH FC | 14/07.06.22 | SOLAR LIGHT PURCHASE | 287680 |
| 4 | PROJECT OFFICER HIMURJA CHAMBA | 14TH FC | 15/07.06.22 | SOLAR LIGHT PURCHASE | 287680 |
| 5 | PROJECT OFFICER HIMURJA CHAMBA | 14TH FC | 16/07.06.22 | SOLAR LIGHT PURCHASE | 287680 |
| | | | | Total | 1438400 |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/388 दिनांक 01-1-2024 द्वारा सचिव ग्राम पंचायत को इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने बारे कहा गया था। इसके प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा तथ्यों की पुष्टि के उपरान्त कहा गया कि इस अनियमितता को भविष्य में नही दोहराया जायेगा दिया गया उत्तर तर्कसंगत प्रतीत नहीं होता है| अतः उक्त व्यय की गई राशि के वास्तविक बिल अंकेक्षण में प्रस्तुत किये जाए तथा भविष्य में इस तरह की अनियमितता को न दोहराया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

### 10.1 रोकड़ बहियों का रख-रखाव/संधारण नियमानुसार न करने बारे।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 7 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार रोकड़बहियों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा रोकड़बहियों का संधारण उचित तरीके से नहीं किया जा रहा है। रोकड़ बहियों में न तो प्रगतिशील योग किये गए हैं और न ही अथशेष व अंतशेष दर्शाए गए है ओर न ही ऑनलाइन रोकड़ बहियों को अंकेक्षण में उपलब्ध करवाया गया, जिससे कि पंचायत की वितीय स्थिति में अथशेष पंचायत द्वारा बनाई गई परीक्षा

संतुलन सूची से लिए गए हैं जोकि उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके अतिरिक्त ऐसी स्थिति में बैंक से किये जा रहे लेन-देन पर भी कोई नियन्त्रण नहीं रह जाता तथा रोकड़ बही, बैंक खाते में उपलब्ध शेष राशि बारे में कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं करवाती। ऐसी स्थिति में पंचायत द्वारा बनाई जा रही आय-व्यय तालिका तथा संतुलन पत्र की मदें भी विश्वसनीय नहीं रह जाती तथा इसमें अनिधिकृत समायोजन की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता।

इस सन्दर्भ में जारी अधियाचना संख्या-377 दिंनाक 23-12-2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि; भविष्य में रोकड़बहियों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा एवं ऑनलाइन रोकड़बहियों को पंचायत

अभिलेख में रख लिया जायेगा। अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से आगामी लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

**10.2 खाता "क" तथा "ख" को अलग से नियमानुसार संधारित न करने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, संकर्म, कराधान एवं भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 4 के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के लिए खाता "क" तथा अनुदानों और विशेष प्रयोजनों के लिए खाता "ख" अलग-अलग से खोले जाने अपेक्षित हैं।

वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 के अंकेक्षण दौरान पाया गया कि, पंचायत द्वारा अपनी आय (स्व-स्रोत) के खाते को पृथक नहीं रखा गया था। अपितु अन्य अनुदानों जैसे जिला , DPO 5th स्टेट व SFC का पंचायत द्वारा स्व-स्रोत के साथ एक ही बैंक खाता व एक ही रोकड़बही में संधारण किया जा रहा है। जोकि उक्त नियम की स्पष्ट अवहेलना है।

इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 377 दिनांक 23-12-2024 के प्रत्युत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां द्वारा सूचित किया कि पंचायत के स्व: स्रोत आय व्यय के लिए पृथक बैंक खाता खुलवा लिया जाएगा।

अत: इस सम्बन्ध में आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

**10.3 PRIYA SOFTWARE में संधारित लेखों तथा MANNUAL संधारित लेखों में ₹0.90 लाख के अन्तर बारे**

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के तत्वाधान में e-PANCHAYT मिशन प्रोजेक्ट (MPP) प्रारम्भ की गई तथा जिसका क्रियान्वयन पंचायती राज विभाग, हि०प्र० कर रहा है इस

योजना के क्रियान्वयन के साथ-साथ हि०प्र० पंचायती राज नियम (सामान्य), 1997 के नियम 34 में वर्णित सभी रजिस्टरों को कागज़ रहित प्रणाली के अंतर्गत e-PANCHAYAT में बदलने का कार्य भी पंचायती राज विभाग की प्राथमिकता है

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा लेखों का अनुरक्षण मैनुअल तथा प्रिया सॉफ्टवेयर दोनों माध्यमों से किया जा रहा है तथा जो लेखे PRIYA सॉफ्टवेर में बनाये गए थे वह मैन्युअल रोकड़बही लेखों व बैंक खातों से मेल नहीं खाते फलस्वरूप दिंनाक 31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों में निम्नविवरणानुसार राशि ₹90321.5 का अन्तर पाया गया

31-03-2023 को PRIYA सॉफ्टवेयर व मैनुअल लेखों संधारित लेखों (रोकड़बही) में अन्तशेष

| | |
|---|---|
| 31-03-2023 को PRIYASOFT में संधारित रोकड़बही का अन्तशेष | 5670416.5/- |
| 31-03-2023 को पंचायत द्वारा मेनुअल संधारित रोकड़बही का अन्तशेष | 5580095.0/- |
| अन्तर | 90321.5/- |

उपरोक्त तथ्यों के मध्यनजर ऐसा प्रतीत होता है कि: पंचायत सचिव द्वारा PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़े सही ढंग से संधारित नहीं किये जा रहे हैं जोकि उक्त नियमों के स्पष्ट अवहेलना है इस सम्बन्ध में सचिव को अंकेक्षण अधियाचना संख्या SAD/CBA/RK/2023-24/387 दिंनाक 01.01.2024 द्वारा स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया जिसके उत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि अन्तर का मिलान कर आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा। प्रस्तुत उत्तर संतोषजनक प्रतीत नहीं है क्योंकि PRIYA सॉफ्टवेयर में आंकड़ों का संधारण किया जाना पंचायती राज विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य है

अत: दोनों अन्तर की छानबीन व पुनर्मिलान करके वस्तु स्थिति अनुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

**10.4 महत्वपूर्ण रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार न करने बारे।**

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियमावली 2002 के नियम 29 से 31 व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नियमानुसार नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

| क्र० | रजिस्टर/अभिलेख | फॉर्म संख्या | संदर्भित नियम |
|---|---|---|---|
| 1. | निवेश रजिस्टर | 01 | 12 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2. | अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर | 09 | 30 |
| 3. | मासिक बैंक समाधान विवरणी | ---- | 15(1) |
| 4. | माँग एवं प्राप्ति रजिस्टर | 10 | 33 व 77(4) |
| 5. | अनुदान रजिस्टर | 21 | 61(1) |
| 6. | निर्माण कार्य रजिस्टर | -------- | 103 |
| 7. | तकनीकी जाँच पड़तालों और तकनीकी मंजूरी आकलन का रजिस्टर | 31 | 95(1) |
| 8. | स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर | 25 व 26 | 72 (1) ए व बी |

इस बारे अंकेक्षण अधियाचना संख्या-377, दिंनाक 23.12.2023 के प्रत्युत्तर में पंचायत सचिव द्वारा कहा गया कि "भविष्य में विहित रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नियमानुसार किया जायेगा।"

अत: भविष्य में नियमानुसार अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

**11. भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करवाने बारे।**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षण,सकंर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

ग्राम पंचायत न्याग्रां की लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन अंकेक्षण अवधि में एक बार भी नहीं किया गया था जिसके बिना वाउचर/बिल विशेष के तहत खरीदी गई सामग्री की भौतिक रूप में उपलब्धता एवं उसकी वर्तमान स्थिति का पता नहीं लगाया जा सकता। समय-समय पर स्टोर/स्टॉक का प्रत्यक्ष सत्यापन न होने से सामग्री विशेष के दुरूपयोग की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। यह एक गंभीर अनियमितता है।

अत: मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर कृत अनुपालना से लेखा परीक्षा को अवगत करवाया जाये।

**12. लघु आपत्ति विवरणिका:-** लघु आपत्ति विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई है। अपितु समय-समय पर चर्चा के दौरान सभी पहलुओं, नियमों/प्रावधानों पर प्रकाश डाला गया।

**13. निष्कर्ष :-** उक्त अनियमितताओं के दृष्टिगत न केवल लेखों के सुधार अपितु नियमानुसार कार्रवाई न करके वित्तीय व विविध अनियमितताएं की जा रही है। यह बात उच्चाधिकारियों के समक्ष विशेष तौर पर इस आशय से लाई जाती है कि, उक्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में पंचायत के पदाधिकारियों/कर्मचारियों को आगामी आवश्यक कार्रवाई अमल में लाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किये जायें।

(कृष्ण लाल नेगी) 30.3.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

30 MAR 2024

1674 – 1678

पृष्ठांकन संख्याः– फिन (एल0ए0) एच (पंच) 15 (2) 143/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी चम्बा, जिला चम्बा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा हि0प्र0।

**पंजीकृत** 5 सचिव, ग्राम पंचायत न्याग्रां, विकास खण्ड भरमौर, जिला चम्बा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

30 MAR 2024

(कृष्ण लाल नेगी) 30.3.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ट - 1 पैरा संख्या 4.1 (क)(i) और (ii) के संदर्भ

# Financial Position of GP NAYAGRAN for the Year 01.04.21 TO 31.03.23

## 1. Own Source.

| FINANCIAL YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 533309 | 80460 | 613769 | 35135 | 578634 |
| 2022-23 | 578634 | 1181807 | 1760441 | 270701 | 1489740 |

## 2. Grants in Aids

| FINANCIAL YEAR | OPENING BALANCE | RECEIPT DURING YEAR | TOTAL | EXPENDITURE | CLOSING BALANCE |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021-22 | 6273579 | 3662897 | 9936476 | 5092424 | 4844052 |
| 2022-23 | 4844052 | 6302658.83 | 11146710.83 | 7059355.83 | 4087355 |

**नोटः** प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम पंचायत न्यांग्रा , विकास खंड भरमौर में उपरोक्त निधियों के अंतर्गत 8 रोकड़बहियों का संधारण किया जा रहा हैं।

**नोट** : उपरोक्त स्व-स्त्रोत एवं अनुदान की रोकड़बहियों में प्रगतिशील शेष नहीं दशाए गए जिससे कि इनमें अथशेषों को बैंकपास बुक से लिया गया है।

परिशिष्ट-2 पैरा संख्या 6 के संदर्भ में

| Grant in aid-in r/o Gram | " NAYAGRAN " | | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba HP-176326 | Year Ended | 2021-22 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sr.no. | Particulars | Op.Balance | Receipt | Total | Expenditure | Closing Balance |
| 1 | 5TH SFC | 328043 | 286258 | 614301 | 247909 | 366392 |
| 2 | 14TH FC | 5000391 | 86940 | 5087331 | 2432291 | 2655040 |
| 3 | 15TH FC | 497493 | 873901 | 1371394 | 0 | 1371394 |
| 4 | LADA | 128384 | 1931 | 130315 | 0 | 130315 |
| 5 | SBM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | IAY | 14853 | 223 | 15076 | 0 | 15076 |
| 7 | RAY | 94415 | 1420 | 95835 | 0 | 95835 |
| 8 | VMJSY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NUCLOUS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | NRNM | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 |
| 11 | NBA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 12 | MANREGA | 0 | 2412224 | 2412224 | 2412224 | 0 |
| | Total | 6273579 | 3662897 | 9936476 | 5092424 | 4844052 |

| Grant in aid in r/o Grar | " NAYAGRAN " | | Dev. Block Bharmour | Distt Chamba HP-176. | Year Ended | 2022-23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5TH SFC | 366392 | 132800 | 499192 | 283124 | 216068 |
| 2 | 14TH FC | 2655040 | 164427 | 2819467 | 2819467 | 0 |
| 3 | 15TH FC | 1371394 | 2339438 | 3710832 | 819975 | 2890857 |
| 4 | LADA | 130315 | 525602 | 655917 | 215487 | 440430 |
| 5 | SBM | 0 | 48000 | 48000 | 48000 | 0 |
| 6 | IAY | 15076 | 427 | 15503 | 15503 | 0 |
| 7 | RAY | 95835 | 2713 | 98548 | 98548 | 0 |
| 8 | VMJSY | 0 | 270000 | 270000 | 0 | 270000 |
| 9 | NUCLOUS | 0 | 60000 | 60000 | 0 | 60000 |
| 10 | NRNM | 180000 | 0 | 180000 | 0 | 180000 |
| 11 | NBA | 30000 | 0 | 30000 | 0 | 30000 |
| 12 | MANREGA | 0 | 2759251.83 | 2759251.83 | 2759251.83 | 0 |
| | Total | 4844052 | 6302658.83 | 11146710.83 | 7059355.83 | 4087355 |
| | Balance as Per Bank on 31.03.23 | | | | | |
| | A/c No | Branch | Head | | | |
| 1 | 18610105752 | HP state Co-op Banl | LADA | | | 440430 |
| 2 | 18610107144 | HP state Co-op Banl | 15TH FC | | | 2890857 |
| 3 | 18610101699 | HP state Co-op Banl | SF/SFC/NBA/NRNM/VMJSY/NUCLOUS | | | 2239056 |
| | | Cash In Hand | | | | 250 |
| | Total | | | | | 5570593 |
| | | | | | | |
| 1 | Cash Book Balance on 31.03.2023 (Own Source) | | | | | 1489740 |
| 2 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | 5TH SFC | | | 216068 |
| 3 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | 14TH FC | | | 0 |
| 4 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | 15TH FC | | | 2890857 |
| 5 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | LADA | | | 440430 |
| 6 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | SBM | | | 0 |
| 7 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | IAY | | | 0 |
| 8 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | RAY | | | 0 |
| 9 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | VMJSY | | | 270000 |
| 10 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | NUCLOUS | | | 60000 |
| 11 | Cash Book Balance on 31.03.2023 | | NRNM | | | 180000 |
| | | | NBA | | | 30000 |
| | | | | Total | | 5577095 |
| | | | | Diffrence | | 6502 |

**Note :- 1.Opening Balance & Closing Balance Not Taken in General Manual Cash Book. So opening balances taken from Bank Pass book**

**2. Progressive Total Not Taken in Mannual Cash Book**

परिशिष्ट -3 पैरा संख्या 8.2 व 8.3 के संदर्भ में.

DETAIL OF VENDER/SUPPLIER IN R/O GP NAYAGRAN FROM WHICH ROYALITY & GST NOT PAID/DEDUCTED AND PAYMENT MADE WITHOUT JOINT SIGN

01-04-2021 TO 31-03-2023

| SR. NO. | NAME OF VENDER/ SUPPLIER | GRANTS/ HEAD | VOUCHER/ DATE | NAME OF MATERIAL | QTY. M3 | QTY. TONNE | RATE OF ROYALITY | ROYLITY NOT PAID | AMOUNT PAID | AMOUNT TO BE PAID | GST NOT PAID /DEDUCTED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 10/23.09.21 | STONE | 78.3 | 176.175 | 60 | 10570.5 | 93960 | 89485.7 | 4474.3 |
| 2 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 11/23.09.21 | STONE | 22.5 | 50.625 | 60 | 3037.5 | 27000 | 25714.3 | 1285.7 |
| 3 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 12/23.09.21 | STONE | 22.5 | 50.625 | 60 | 3037.5 | 27000 | 25714.3 | 1285.7 |
| 4 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 13/23.09.21 | STONE | 22.5 | 50.625 | 60 | 3037.5 | 27000 | 25714.3 | 1285.7 |
| 5 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 14/23.09.21 | STONE | 22.5 | 50.625 | 60 | 3037.5 | 27000 | 25714.3 | 1285.7 |
| 6 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 15/23.09.21 | STONE | 22.5 | 50.625 | 60 | 3037.5 | 27000 | 25714.3 | 1285.7 |
| 7 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 16/23.09.21 | STONE | 38.47 | 86.5575 | 60 | 5193.45 | 46164 | 43965.7 | 2198.3 |
| 8 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14fc | 17/23.09.21 | STONE | 38.47 | 86.5575 | 60 | 5193.45 | 46164 | 43965.7 | 2198.3 |
| 9 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14th fc | 18/23.09.21 | STONE | 45 | 101.25 | 60 | 6075 | 54000 | 51428.6 | 2571.4 |
| 10 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 14th fc | 19/23.09.21 | STONE | 38.47 | 86.5575 | 60 | 5193.45 | 46164 | 43965.7 | 2198.3 |
| 11 | MADAN LAL S/O CHOKAS RAM PO GHODPEETH | LADA | 02/09.06.22 | STONE | 36 | 81 | 80 | 6480 | 28800 | 27428.6 | 1371.4 |
| 12 | MADAN LAL S/O CHOKAS RAM PO GHODPEETH | LADA | 03/09.06.22 | SAND | 6.32 | 10.23 | 80 | 818.49 | 26760 | 25485.7 | 1274.3 |
| 13 | MADAN LAL S/O CHOKAS RAM PO GHODPEETH | LADA | 04/09.06.22 | AGG | 11.98 | 18.21 | 80 | 1456.72 | 28800 | 27428.6 | 1371.4 |
| 14 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 15TH FC | 08/19.10.22 | AGG | 4.11 | 6.25 | 80 | 499.776 | 36282 | 34554.3 | 1727.7 |
| 15 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 15TH FC | 09/19.10.22 | AGG | 4.11 | 6.25 | 80 | 499.776 | 36282 | 34554.3 | 1727.7 |
| 16 | M/S RAJESH KUMAR GOVT. CONT PO NAYAGRAM | 15TH FC | 10/19.10.22 | SAND | 4.11 | 6.66 | 80 | 532.66 | 43537 | 41463.8 | 2073.2 |
| | | | | | | TOTAL | TOTAL | 57700.77 | 621913 | 592298.1 | 29614.9 |
| If Supplier is not mining lease holder than 25%penality on | | | | 57700.77 | 10287.42 | | | 10287.42 | | | |
| | | | | | | | G.TOTAL | 67988.18231 | | | |

**Remarks:**

1. All Figures are taken up to 2 Decimal
   Rate of Royalty is taken Rs 80 per Tonne as Per Second Schedule of Deptt. Of Industry & Mining
   **Conversion Factor**
2. **A. From Square Feet to Cubic Meter M3**
   35.31 Sq.Ft. = 1 Cubic Meter ($M^{3)}$ Common to all items Sand, Stone & Aggregate
3. **B. From Cubic Meter ($M^{3)}$ to Tonne**
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Sand 1.62
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Aggregate 1.52
   One Cubic Meter ($M^{3)}$ Stone 2.24
4. All items Sand, Stone & Aggre. **average weight** are taken for conversion while cubic meter to tonne.
5. As per quatation terms and condition Rate are inclusive of all Taxes but it is not cleared wether it is paid or not

परिशिष्ट - 4 पैरा संख्या 7.2 से संबंधित

| Gram Panchayat Nayagran Marriage Registration 01-01-2021 TO 31-03-2023 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR. No | Name | Date of marriage | Date of Registration of marriage | Amount Due (₹) | Amount Received (₹) | Balance (₹) |
| 1. | Anish Kumar | 18-09-2021 | 17-10-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 2. | Vikram Dogra | 18-09-2021 | 17-10-2021 | 200 | 0 | 200 |
| 3. | Rajat Kumar | 24-12-2021 | 28-12-2021 | 25 | 0 | 25 |
| 4. | Somya kumar | 10-03-2022 | 15-03-2022 | 200 | 0 | 200 |
| 5. | Ishwar Singh | 26-09-2022 | 31-10-2022 | 400 | 200 | 200 |
| 6. | | | | 1025 | 200 | 825 |

Jr. Auditor

Jr. Auditor
H.P. State Audit Department
Audit Circle Chamba